File no. BHRC.comp-1295/12

10.08.2016

संचिका आदेश हेतु ली गयी। आवेदक(रविन्द्र सिंह) का कथन है कि उसके और उसके बड़े भाई सुरेन्द्र सिंह की शादी 2005 में ग्राम बलिगावॅ थाना–आयर, जिला भोजपुर के राम कुमार सिंह की पुत्री बबीता देवी एवं सुनीता देवी के साथ हुयी थी । आवेदक रविन्द्र सिंह की शादी बबीता देवी एवं उसके बड़े भाई सुरेन्द्र सिंह की शादी सुनीता देवी से हुआ था ।

अब आवेदक की शिकायत है कि सुनीता देवी चरित्रहीन एवं बदमाश लड़की थी जो दिनांक 08.10.2011 को सतीश पाण्डेय, ग्राम–बड़ौरा, थाना–रामगढ, जिला– कैमुर के साथ अबैध सम्बन्ध स्थापित कर भाग गई उसके बाद उसके पिता के द्वारा आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों पर सुनीता देवी की हत्या के लिए मुकदमा दायर कर दिया गया जबकि राम कुमार सिंह को अपनी लड़की सुनीता देवी से फोन पर बातचीत होती रही। तीन माह बाद पुनः लड़की सुनीता देवी अपने मायके बापस आयी तथा आवेदक एवं उसके परिवारजनों पर पुनः केस कर दी । पुलिस रूपया लेकर लड़की एवं लड़का को छोड़ दिया। आवेदक का आगे आरोप है कि सुनीता के बापस आने के बाद भी पुलिस उन्हें बरी नहीं कर रही है । थाना में चार्जशीट देने के लिए 20 हजार रू0 की मॉग कर रहा है ।

प्रतिवेदन की मॉग की गई जिसमें घटना को 498–ए/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत आवेदक, उसके भाई(भैंसुर) ननद एवं सास के विरूद्ध सत्य पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है । आवेदक एवं उसके परिवार के बारे में कहा गया कि उन लोगों के द्वारा जमानत नहीं कराया गया, इस कारण आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया बल्कि न्यायालय से बारंट प्राप्त करने का आवेदन दिया गया ।

अग्रिम रिपोर्ट की मॉग किए जाने पर आवेदक रविन्द्र सिंह के साथ–साथ सुरेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, सुन्दरा कुॅवर एवं सुशीला देवी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–135/2013 दिनांक 31.10.2013 समर्पित करने की बात कही गयी । पीड़िता का द.प्र.स. की धारा–164 के अन्तर्गत बयान दर्ज कराने की भी बात कहीं गयी है । यहॉ यह बताना प्रासांगिक है कि सुनीता देवी के गायब होने के बाद उसके पिता राम कुमार सिंह द्वारा दिनांक13.11.2011 को लिखित आवेदन पत्र दे कर सूर्यपुरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया। आवेदक की शिकायत को अनुसंधानकर्त्ता, पर्यवेक्षणकर्त्ता या प्रतिवेदनकर्त्ता के द्वारा गलत किया जाने को निम्न रूप में बिन्दुवार अंकित किया जा सकता है :–

1. सुनीता के पिता का सुनीता से फोन पर बातचीत के बिन्दु पर अनुसंधान के लिए फोन या मोबाईल का प्रिंट आउट/सी.डी.आर./कैफ निकाल कर उसे अनुसंधान का अंश बनाया जाना ।

2. रूपया लेकर लड़का–लड़की को छोड़ देना

3. आवेदन पत्र दिये जाने तक आवेदक एवं उसके परिवारजनों को बरी नहीं किया जाना ।

4. चार्जशीट कोर्ट में भेजने के लिए 20 हजार रू0 की मॉग किया जाना ।

एक एक बिन्दु को आरोप पत्र/प्रतिवेदन एवं आयोग द्वारा पारित आदेश 06.07.2015 के आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं तत्कालीन थाना प्रभारी के स्पष्टीकरण के आधार पर विश्लेषण करना है । परिवाद पत्र के परे आए परिस्थिति (आरोप–पत्यारोप) पर आवश्यक होने पर अलग से विचार किया जा सकता है। इसलिए मैं बिन्दुवार आवेदक की शिकायतों को लेता हूँ। इसके पूर्व यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि इस जॉच में कॉड के केस डायरी की कार्बन कॉपी मॉगे जानेपर उपलब्ध करायी गयी है ।

बिन्दु–1 के आरोप में कहा गया है कि सुनीता का अपने पिता से फोन पर अपने गायब रहने के दौरान बातचीत होती थी । आवेदक की यह बात यदि स्वीकार नहीं भी किया जाय कि अनुसंधानकर्त्ता अर्थात् तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा प्रिंट–आउट/सी.डी.आर./कैफ उपलब्ध नहीं किया गया और उसका अनुसंधान का अंश नहीं बनाया गया तब भी यह निर्विवाद सत्य है कि सुनीता देवी या उसके पिता के द्वारा उपयोग किया गया कोई भी फोन(मोबाइल) का सी.डी.आर./कैफ अनुसंधान के क्रम में केस डायरी में संलग्न नहीं किया गया जो आवेदनकर्त्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों के निर्दोष होने का प्रमाण हो सकता था । आवेदक का यह स्पष्ट कथन है कि प्रिंट आउट सी.डी.आर. उपलब्ध किया गया था परन्तु उसे अनुचित मॉग की पूर्ति नहीं होने पर अनुसंधान का अंश नहीं बनाया गया न उसका जिक्र केस डायरी में किया गया स्वीकार किया जाता है।

बिन्दु–2. कि थाना प्रभारी द्वारा लड़का (सतीश पाण्डेय) और लड़की को छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी एवं प्रतिवेदन देने वाले पुलिस अधीक्षक दोनों द्वारा यह कहा गया है कि सतीश पाण्डेय पर कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया था । अब आवेदक के आरोप के परिप्रेक्ष्य में सुनीता के न्यायालय के समक्ष 164द0प्र0स0 के बयान में जो कथन आया है उस पर विचार करना है । यह बयान संचिका के पृष्ठ–18–17 पर

उपलब्ध है जो उसके बयान के सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति है, कतिपय इसे अस्वीकार भी किया जा सकता था परन्तु इसे आवेदक, तत्कालीन थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसके पारा–3 में उसके द्वारा(सुनीता देवी के) कहा गया है कि लुधियाना से वह लड़का सतीश पाण्डेय उसके मायके बलिगॉव, थाना आयर, जिला–भोजपुर मॉ–बाप के पास पहूॅचा दिया जबकि ससुराल वाले झूठा केस कर के उस लड़का जिसका नाम सतीश पाण्डेय है को फंसा दिया और जेल भेजवा दिया । इसके बाद वह पारा –5 में कहती हैं कि सतीश पण्डेय उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया वह बेकसुर है । अब इस बयान को आवेदक के आरोप के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि सतीश पाण्डेय को रूपया लेकर छोड़ दिया गया, स्वयं सिद्ध है ।पुलिस द्वारा यह नहीं कहा गया है कि सतीश पाण्डेय को भगा ले जाने के आरोप में आरोपित किया गया परन्तु कोई अपराध नहीं बनता पाकर उसे छोड़ दिया गया । सुनीता देवी का बयान एक और अर्थ में प्रासांगिक है कि वह सतीश पाण्डेय पर आए खतरे का जब आकलन की तब ही लुधियाना से बापस आयी ।उसके अनुसार पुलिस अपनेकस्टडी में लेकर ऐसा जनाना चाही कि उसे जेल भेज दिया गया ।

बिन्दु–3.सुनीता देवी का उपरोक्त बयान(धारा–164द0प्र0सं0 का बयान) दिनांक 14.01.2012 को अनुसंधानकर्त्ता के विचार किए जाने पर ही न्यायालय (मजिस्ट्रेट) द्वारा लिया गया जो दिनांक 14.01.2012 का है जबकि आवेदक का परिवादपत्र दिनांक 02.04.2012 का है । पुलिस प्रतिवेदन दिनांक 02.04.2012 के बाद ही दिनांक 28.06.2012 को आया है कि अभियुक्तगण के द्वारा जमानत नहीं कराया गया है इसलिए न्यायालय से वारंट की मॉग की गयी है । यहॉ इस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि आवेदक एवं उसके परिवार के विरूद्ध जो सुनीता के पिता के द्वारा आरोप लगाया गया है उसे सुनीता के धारा–164द0प्र0सं0 के बयान दर्ज किए जाने के बाद स्वीकार की जा सकती थी कि नही उनके आरोप में 304बी/201/34 भा.द.वि एवं 3/4 दहेज प्रतिरोध अधिनियम का आरोप है । धारा 304बी की दहेज प्रताड़ना के लिए हत्या की गयी सुनीता के बापस आने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है उसके साथ ही धारा–201 भा.द.वि के आरोप का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता ।

अब इसके बाद इसे न्यून कर 498–ए.भा.द0वि. के अन्तर्गत या 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 के अपराध के लिए स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं । सुनीता देवी के पिता राम कुमार सिंह के अनुसार दहेज की मॉग की जा रही थी और उसके लिए प्रताड़ित भी किया जा रहा था इसका समर्थन 2 साक्षियों ने भी केस डायरी में किया है जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अंकित किया गया है यह साक्षी पारा –6 के

श्री राम सिंह एवं पारा–13 के बिन्देश्वर सिंह है परन्तु दहेज की मॉग या इसके लिए प्रताड़ना की बात न तो सुनीता के द्वारा कही गयी है और न ही उसकी बहन बबीता के द्वारा । सुनीता का बयान केस डायरी के पारा–59 में धारा– 161द.प्र.स. के अन्तर्गत लिया गया है जबकि उसका धारा 164 द.प्र.स. के बयान को केस डायरी के पारा–90 में दर्ज कराया गया । सुनीता देवी द्वारा यह अवश्य बताया गया है कि उसके ससुराल के लोग उसके साथ हमेशा मारपीट करते थे जिसका कोई कारण उसके द्वारा नहीं दिया गया है । धारा–164द.प्र.स. के बयान के पारा 4 में वह हमेशा अपने साथ मार–पीट किए जाने के बारे में बताती है।

घर छोड़ने के कारण में उसके 164 द0प्र0स0 के पैरा–1 में दिया गया बयान है जिसमें वह कहती है कि– 4 बजे सुबह वह शौंच के लिए घर के बाहर निकली उसके पीछे से दो लड़का उसे पकड़ लिए । उसका देवर रबिन्द्र सिंह अर्थात् आवेदक उसका मुॅह बन्द कर दिया, वह बेहोश हो गयी और वह अपने को ट्रेन के डिब्बे में पाती है । उसके कथन पर कतिपय विश्वास भी किया जा सकता था परन्तु अपने घर बापस नहीं लौटने के कारण में वह बताती है कि उसे ससुराल पहॅूचा दिया जायगा जहॉ ससुराल के लोग उसके मारपीट करने लगेगें, मायके क्यों नहीं लौटी इसको स्पष्ट नहीं करती है जबकि उसके पिता उसका पक्ष लेने के लिए किसी सीमा तक जा सकता है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप से भी साबित है । आवेदक एवं परिवारजनों को दोषी बनाये जाने के क्रम में एक बिचित्र बात पुलिस अधीक्षक द्वारा कही गयी है कि सुनीता से कोई सन्तान नहीं थी यह भी उसके प्रताड़ित किये जाने का कारण हो सकता था जबकि अनुसंधान में ऐसी कोई बात नहीं आयी है । इसके उत्तर में आवेदक द्वारा बताया गया कि घटना के बहुत बाद 2013 में उसकी पत्नी बबीता से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुयी अर्थात् दो बहने घटना के समय बिना संतान के थीं।

इसके अतिरिक्त दिनांक 06.07.2015 के पारित आदेश में स्पष्ट दिया हुआ है कि जिला के पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण उनसे अपेक्षा थी कि वह अनुसंधान की दिशा को सही करते कम से कम future investigation का निर्णय लेते, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया बल्कि अपने पदाधिकारी को बचाने का कार्य किया गया ।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्त्ता पर जो जो भी आरोप आवेदक द्वारा लगाया गया है वह सही है और उसे बचाने में पुलिस अधीक्षक द्वारा भी एक पक्षकार की भूमिका निभाई गयी है ।

बिन्दु–4.चार्जशीट के लिए 20 हजार रू0 की मॉग किया जाना अर्थात् नहीं देने पर चार्जशीट दे दिया जायगा में, केवल रूपए की मॉग पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है न ही इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य ही लिया गया है परन्तु उपरोक्त परिस्थितियॉ स्पष्ट कर रही है कि आवेदक एवं उसके परिवारजनों को दोषी मानकर आरोप पत्र दाखिल किये जाने में कोई न कोई कारण अवश्य रहा है जिसके दोषी में पर्यवेक्षणकर्त्ता भी माने जायेंगे और पुलिस अधीक्षक की भूमिका को भी अपने पुलिस पदाधिकारी को बचाने के कारण दोषी की श्रेणी में माना जायगा।

उपरोक्त परिस्थिति में आयोग द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि सुनीता के दिनांक 14.01.2012 के धारा–164द.प्र.स. के बयान के अंकित होने के बाद भी आवेदक एवं उसके परिवारजनों को अपराधी मानकर उसके विरूद्ध अनुसंधान लम्बित रखने उन्हें जमानत लेने की परिस्थिति पैदा करने एवं दोषी माने जाने के कारण एक लाख रूपए की क्षति पूर्त्ति दी जाय जिसका 60 प्रतिशत तत्कालीन अनुसंधानकर्त्ता/ थानाध्यक्ष, सूर्यपुरा, 20 प्रतिशत पर्यवेक्षणकर्त्ता एवं 20 प्रतिशत प्रतिवेदन देने वाले पुलिस अधीक्षक, रोहतास जिनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 16.02.2016 को दिया गया है से सरकार वसूल कर सकती है।

इसकी सूचना इस आदेश की प्रति के साथ विधिवत पुलिस अधीक्षक, रोहतास/अपर पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज, थाना प्रभारी–सह–थानाध्यक्ष, सूर्यपुरा एवं परिवादी रविन्द्र सिंह, पिता–स्व0 मोतीलाल सिंह, रोहतास को दी जाय । अनुशंसा में क्षतिपूर्त्ति का जो भुगतान करना है वह गृह विभाग या उनके निर्देश पर ही अन्य किसी से भी किया जा सकता है इसलिए आदेश की प्रति गृह सचिव को अलग से दी जाय ।

केस डायरी की कार्बन प्रति संबंधित पदाधिकारी को वापस कर दी जाय।

(न्यायमूर्ति मान्धाता सिंह)

सदस्य